उपाय किया जा रहा है जिससे उनके खाने का मसला हल होता रहे ।

**श्री हाथी** : जब दो राज्यों के बीच का कोई प्रश्न या झगड़ा हो तो ऐसी बातें जोनल कौंसिल में आती हैं और आ जायेंगी ।

**Shri Surendranath Dwivedy**: From the reply of the hon. Minister is it right to have the impression—at least I have carried that impression—that the Government has not yet taken any decision so far as the appointment of the one-man Commission for the Mysore-Maharashtra dispute is concerned? May I know what is the position of the Government, whether they have decided anything in this matter and whether, when the demarcation takes place, the village will be considered as the unit for dividing two provinces?

**Shri Hathi**: I am sorry the hon. Member has not got the correct impression. In my reply I did not say that the Government had not yet taken a decision to appoint that Commission for the Mysore-Maharashtra boundary dispute. The question was whether a permanent commission was to be appointed for settling all the disputes and my reply was that no decision had been taken to appoint a permanent commission to settle such disputes because in the past we have been able to decide these questions by appointing a committee or a commission or a zonal council (*Interruptions*). Therefore, that is not so. This Commission is going to be appointed.

**Mr. Speaker**: Mr. Venkatasubbaiah.

**Shri Surendranath Dwivedy**: I also asked whether the village was going to be the unit for demarcation of the boundary.

**Shri Hathi**: So far as that is concerned, as the House knows, the terms of reference are being discussed between the two Chief Ministers and when they are finalised, it will be known.

**Shri P. Venkatasubbaiah**: May I know whether, in pursuance of the appointment of the boundary commission, the one-man commission, so far as the Mysore-Maharashtra border dispute is concerned, Government are in active consideration of going into the water disputes of other States, whether any such instances are brought to the notice of the Government, and if so, what are they going to do?

**Shri Hathi**: For the present, let us await the agreed terms of reference between the two Chief Ministers. Later on, we can go into those.

### Code of Conduct of Legislators

+

***630. Shri Yashpal Singh:**
**Shri Madhu Limaye:**
**Shri Bagri:**
**Dr. Ram Manohar Lohia:**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the Code of Conduct of Legislators has been finalised; and

(b) if so, when it will be placed on the Table?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi)**: (a) and (b). The draft Code is under consideration. A meeting of some M.Ps. arranged by Department of Parliamentary Affairs was held recently to discuss the draft Code to regulate the relationship between Members of Parliament and of State Legislature and the Administration, and the Code of Conduct for Legislators. Thereafter Department of Parliamentary Affairs have sent the draft Code to some M.Ps. for their comments and suggestion.

**श्री यशपाल सिंह** : इस कोड आफ कंडक्ट में क्या कोई प्राविजन भी है, जैसा कि आजकल होता है कि मेम्बर पार्लियामेंट

अटेन्ड करे या न करे वह भत्ता जरूर लेता है . . . . .

**Shri Raghunath Singh:** Is he taking or not?

**श्री यशपाल सिंह** : ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं अटेंड न करूं । यह नामुमकिन है ।

"ई खयाल अस्तो महाल अस्तो जनूं"

नामुमकिन बात है कि ऐसा हो ।

**Shri Raghunath Singh:** I will show him, when he is out.

**श्री रामेश्वरानन्द** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस पर दिला रहा हूं कि आप उन माननीय सदस्य को कुछ नहीं कहते कि वह ऐसा न करें । यह आपका कैसा नियंत्रण है ।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री यशपाल सिंह इतने मजबूत हैं कि उनको मेरी रक्षा नही चाहिये ।

**श्री रघुनाथ सिंह** : माननीय सदस्य ने इन्सिनुएशन किया है ।

**अध्यक्ष महोदय** : इस झगड़े से यहां पर क्या मतलब है ?

**श्री रघुनाथ सिंह** : सब के ऊपर इस तरह से हमला करना ठीक नहीं है ।

**श्री यशपाल सिंह** : मैं जानना चाहता हूं कि इस कोड आफ कंडक्ट में क्या कोई ऐसा प्राविजन है कि जो मेम्बर पार्लियामेंट हाउस अटेन्ड न करे उनको भत्ता न दिया जाये ।

**गृह-कार्य मन्त्री (श्री नन्दा)** : पार्लियामेन्ट के मेम्बरों के लिये यह बात समझ ली गई है कि वह ऐसी हलकी बातें नहीं करेंगे । इसलिए मामूली दयानतदारी की जो बातें हैं वह सब नहीं लिखी हुई हैं, जो दूसरी चीजें हैं वह इसमें आती हैं ।

**श्री यशपाल सिंह** : अगर इंडिविजुअल जस्टिस के लिये पार्लियामेन्ट के मेम्बर आवाज नहीं उठायेंगे तो अदालतों की हालत यह है कि नेक्स्ट एलेक्शन आ जाता है और पिटिशन्स का फैसला नहीं होता । हाई कोर्ट्स में 80, 80 हजार केसेज पेन्डिंग पड़े हुए हैं । अगर इंडिविजुअल जस्टिस के लिये पार्लियामेन्ट के मेम्बर आवाज नहीं उठायेंगे तो किस तरह से काम चलेगा ।

**अध्यक्ष महोदय** : यह सवाल कैसे हो सकता है ।

**श्री यशपाल सिंह** : मैं जानना चाहता हूं कि इंडिविजुअल जस्टिस के लिये पार्लियामेन्ट के मेम्बर कुछ बोलेंगे या नहीं ।

**अध्यक्ष महोदय** : यह माननीय मंत्री महोदय नहीं बतलायेंगे ।

**श्री यशपाल सिंह** : इस आचार संहिता में मंत्री महोदय क्या यह नहीं बतलायेंगे ?

**अध्यक्ष महोदय** : यह बात कोड आफ कंडक्ट में नहीं आयेगी ।

**श्री मधु लिमये** : कांग्रेस पार्टी ने अपने सदस्यों के लिए एक आचार संहिता बनाई है । मैं यह जानकारी चाहता हूं कि उसमें और जो साधारण आचार संहिता बनाई गई है उसमें क्या फर्क है, और क्या यह बात सही है कि श्री सुब्रह्मण्यम आदि लोगों का मामला इसलिये जांच समिति के सामने नहीं रखा गया कि अगर रखा जाता तो इस आचार संहिता के तहत उनको इस्तीफा देना पड़ता ।

**श्री नन्दा** : यह सवाल पैदा नहीं होता क्योंकि इसका सम्बन्ध इस प्रश्न से नहीं है ।

**अध्यक्ष महोदय** : क्या दोनों कोडस आफ कंडक्ट में कोई फर्क है ।

**श्री नन्दा** : कांग्रेस मेम्बर्स के लिये जो कोड है उस का पार्लियामेन्ट मेम्बर्स के कोड आफ कंडक्ट से कोई सम्बन्ध ही नहीं है ।

**श्री मधु लिमये** : कांग्रेस संसद सदस्यों के लिये जो कोड बनाया गया है . . . .

**अध्यक्ष महोदय** : कांग्रेस के लिये क्या कोड है यह यहां नहीं आ सकता ।

**श्री मधु लिमये** : मैं दोनों में फर्क जानना चाहता हूं ताकि अगर वह बढ़िया हो तो हम भी अपने लिये वहां कोड लागू करें ।

**अध्यक्ष महोदय** : कांग्रेस के कोड की बात यहां नहीं आ सकती ।

**श्री बागड़ी** : जो पुराने वाकयात गुजरे हैं कि केन्द्र के राज्यों के जिस मंत्री के बारे में हाथ लगाओ वही झड़ जाता है इस आचार संहिता को लेकर, उनको दृष्टि में रखते हुए क्या गृह मंत्री कोई ऐसा नियम लागू करेंगे जिसमें जिन मंत्रियों के सम्बन्धी व्यापार में हों, चाहे वह बाप और बेटे हों या पति और पत्नी हों, वह भी इसमें आ सकें ?

**श्री नन्दा** : यह कोड मेम्बरों के लिये है । मिनिस्टर्स के लिये अलाहदा कोड है जो कि पहलेयहां रखा गया था । यह जो कोड है अभी फाइनालाइज नहीं हुआ है । लीडर्स ऑफ दि पार्टीज को वह अभी भेजा गया है । उसमें वह जो सजेशन देना चाहें दे सकते हैं और हमको मिलकर उस पर विचार करना चाहिये ।

**श्री बागड़ी** : मैंने जो बात पूछी थी उसका जवाब नहीं दिया गया ।

**अध्यक्ष महोदय** : वह अभी फाइनालाइज नहीं हुआ ।

**श्री बागड़ी** : मैं फाइनालाइज करने की बात नहीं कर रहा हूं । कोई बनाया गया है या नहीं ।

**अध्यक्ष महोदय** : वह तमाम पार्टियों के पास भेज दिया गया है ।

**डा० राम मनोहर लोहिया** : विधायकों, जिनमें मंत्री भी शामिल हैं और नौकरशाही के रिश्ते आज बिल्कुल उलट हो गये हैं । क्या मंत्री महोदय ने इस पर विचार किया है कि नौकरशाही का काम है नीतियों का कार्यान्वियन करना और विधायकों और मंत्रियों का काम है नीतियों को बनाना । लेकिन काम बिल्कुल उलट हो गये हैं । अगर सोचा है तो इसके क्या क्या उपाय और रास्ते निकाले गये हैं, अगर नहीं सोचा है तो क्यों नहीं सोचा है ।

**श्री नन्दा** : मैं ने जवाब दिया कि उस में कुछ बातें ऐसी हैं जिन का इशारा श्री मधु लिमये ने किया है । इस के अलावा कुछ और बातें भी हैं । पार्टी लीडर्स के नाम उस की कापी भेजी गई है । वह अपनी राय दें । तब हम बैठ कर सोचें कि हमें क्या करना है । उस में इस किस्म की बातें हैं लेकिन अगर आप कुछ और रखना चाहें तो आप उन को बतला सकते हैं ।

**डा० राम मनोहर लोहिया** : इस कोड में जो मोटी बातें हैं वह मंत्री महोदय को बतलाना चाहिये । वह कोई खाली कागज तो नहीं है । यहां बतलायें तो कि कार्यान्वियन और नीति दोनों का क्या सम्बन्ध है आजकल ।

**अध्यक्ष महोदय** : डाक्टर साहब, वह कहते हैं कि ड्राफ्ट स्टेज पर है । जिस वक्त उसको फाइनलाइज किया जायेगा उस वक्त अपोजीशन पार्टीज से मश्वरा किया जायेगा ।

**डा० राम मनोहर लोहिया** : ड्राफ्ट में कोई बात बताई होगी न ? जो ड्राफ्ट में इन्होंने बातें बताई हैं, उसका मुख्य आधार यहां बताना जरूरी हो जाता है ।

**अध्यक्ष महोदय** : जो आपने ड्राफ्ट बनाकर भेजा है उसको आप टेबल पर रख दें ।

**श्री नन्दा** : मैं रख दूंगा ।

**श्री म० ला० द्विवेदी** : काफी विरोधी दल के सदस्य सदन का समय अनर्गल रूप से लेते हैं । उसके लिए अध्यक्ष महोदय आप प्रबन्ध करते हैं या इसका भी इंतजाम गृह मंत्रालय को दिये जाने की सम्भावना है ?

**श्री हुकम चन्द कछवाय** : यह सीधा आरोप आपके ऊपर है।

**श्री विभूति मिश्र** : कोड आफ कंडक्ट एक विशाल शब्द है। मैं जानना चाहता हूं कि मैम्बर्ज के फंक्शनिंग का जो तरीका है क्या उसको मंत्री महोदय बताना चाहते हैं या हमारे कोड आफ कंडक्ट की वह जांच करना चाहते हैं। यह कोड आफ कंड्क्ट एक बेढब चीज है। बहैसियत मैम्बर्ज पार्लिमेंट के हम कैसे काम करेंगे, क्या तरीका होगा यह तो एक चीज है और कोड आफ कंड्क्ट दूसरी चीज है। मैं जानना चाहता हूं कि इन दोनों में क्या मंत्री महोदय फर्क करते हैं या नहीं करते हैं और अगर करते हैं तो किस हद तक करते हैं ?

**श्री नन्दा** : यह तो कोई दूसरा नहीं बना रहा है, मेम्बर ही मिलकर बना रहे है।

**श्री विभूति मिश्र** : सवाल यह था कि कोड आफ कंडक्ट दूसरी चीज है और हमारे फंक्शन करने का तरीका कुछ और चीज है। मेम्बर बनाये या कोई बनाये यह सवाल नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय क्या कोड आफ कंडक्ट बनाना चाहते हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि मेम्बर्ज के फंक्शंज क्या हैं, इसको बनाना चाहते हैं, इसके बारे में बनाना चाहते हैं या हमारे कोड आफ कंडक्ट को दुरुस्त करना चाहते है ?

**श्री नन्दा** : मेम्बर पार्लियामेंट के फंक्शनिंग के बारे में तो स्पीकार साहब बहुत कुछ नियम हैं। उसके अलावा बहुत सी बातें हैं जिनको शामिल किया गया है।

**श्री विश्राम प्रसाद** : मूल प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया है कि यह प्रश्न विचाराधीन है। मैं जानना चाहता हूं कि इसकी मोटी मोटी बातें क्या हैं और कब तक यह विचाराधीन रहगा ?

**अध्यक्ष महोदय** : इसको मेज पर रखा जाए, यह मैंने कह तो दिया है।

**श्री विश्राम प्रसाद** : कब तक विचाराधीन रहेगा ?

**अध्यक्ष महोदय** : उसका जवाब भी यही है।

**Shri Hem Barua**: May I know if the proposed code of conduct for legislators is going to lay down the condition definitely that Members or legislators would never allow their private cars to be used as private taxis and, would never sub-let their official residences or flats or servants' quarters or their motor garages?

**Shri Tyagi**: What does he mean? I protest. To lay down that Members will not commit theft—will that also come?

**Mr. Speaker**: Order, order.

**Shri Hem Barua**: It does come.

**Mr. Speaker**: Order, order. Even if the Member wants to bring into prominence the fact that such lapses have taken place, he should not put the question here in Parliament. There is a Committee of the House also that has been taking action. If further he has got any grievance, he should bring it to the notice of the Committee. That is our Committee. We can take action there.

**Shri Bhagwat Jha Azad**: This is an insinuation on all Members. If there are some like that, let him catch hold of them. But to put a general question making a general insinuation against all is most improper. Does he think he is the only puritan in the House?

**Shri Hem Barua**: May I submit this? I am sorry I am misunderstood. Mentally speaking, I am very sick about this. Corruption is the biggest or the worst form of violence that this country has been subjected to...

**Shri Swell**: I strongly protest against his bringing the House into ridicule by

this kind of 'remark. Strong action should be taken against him.

**Shri Hem Barua**: On a previous occasion...

**Mr. Speaker**: Why should he insist?

**Shri Hem Barua**: I am not insisting. It is a fact that there is downright corruption. On a previous occasion, I had the privilege of drawing the attention of you and the House to this fact that there are some Members of Parliament who sub-let their official residences or flats and garages and servants' quarters. And what happened? I am sorry to tell you that nothing happened. Nothing has so far been done to remove this type of corruption from Members of Parliament. If the flavour is drained out of the salt, wherewith shall it be salted? If we who are representatives of the people, degrade ourselves like this or degenerate like this, what is the hope for this country?

**Shri Swell**: If the hon. Member has any knowledge in his possession, he should bring it specifically to the attention of the Speaker, he should not speak of all Members, that is very objectionable.

**Shri Hem Barua**: I brought it to your notice and the notice of the Committee and Shri Satya Narayan Sinha wrote a letter, sent a circular, to Members of Parliament during the Pakistani aggression about the observance of the black-out rule. I wrote back to him that the Members whose flats have been rented out, it is those people who have been violating the rule, and I told him to bring the matter to your notice. He replied to my letter.

**Mr. Speaker**: The Member has unnecessarily worked himself up in this manner. There was no need for such excitement or such agitation. When he wrote to me, we called a meeting of the Committee.

**Shri Hem Barua**: Nothing happened.

**Mr. Speaker**: You were present when those steps that were to be taken were decided and when the Chairman was asked to proceed with them. He did proceed. We served a notice on them, we got their answers. Some of them were removed. There may have been certain cases where it has not been carried to the ultimate conclusion we can take that up again.

**Shri Hem Barua**: I can take you with me and show you and point out those flats.

**Mr. Speaker**: Will be prepared to go in that case.

**श्री विभूति मिश्र** : कांग्रेस पार्टी का कोई मेम्बर किसी को अपने यहां नहीं रखे हुए है। हम लोगों ने एक्शन ले लिया था। विरोधी दल वाले रखे हुए हैं।

**Mr. Speaker**: Next question.

**श्री काशी राम गुप्त** : अध्यक्ष महोदय..

**अध्यक्ष महोदय** : और नहीं।

**श्री काशी राम गुप्त** : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय।

**Mr. Speaker**: I have passed on to the next question.

**Shri A. P. Sharma**: Will there be a discussion on this code?

**Mr. Speaker**: Order, order.

**Shri Hari Vishnu Kamath**: Give notice.

**दिल्ली के स्कूलों में प्रवेश के लिये प्रपत्र (फार्म)**

+

*631. **श्री हुकम चन्द कछवाय** :
**श्री रामेश्वरानन्द** :
**श्री रघुनाथ सिंह** :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में सभी सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों में प्रवेश प्रपत्र अंग्रेजी में है,

(ख) क्या यह भी सच है कि इस कारण